जन–सुनवाई कार्यवृत्त

भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तावित खनन परियोजना मैसर्स श्री आशीष चांदना पुत्र श्री भगवान दास चांदना, रेफरेन्स नम्बर 20191000015079 क्षेत्रफल 3.3003 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 2,22,900 टी.पी.ए. (रोम), निकट ग्राम–मोडिया मानसर, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर, **{कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 9.6039 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता–7,10,600 टी.पी.ए.(रोम)} में स्थित है** में बजरी, बॉल क्ले, सिलिका सेंड के खनन की पर्यावरण स्वीकृति हेतु जनसुनवाई जिला कलक्टर बीकानेर के प्रतिनिधि राजेश कुमार नायक, उपखण्ड अधिकारी, कोलायत, बीकानेर की अध्यक्षता में एवं श्री राजकुमार मीणा, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर की उपस्थिति में **ग्राम पंचायत भवन गजनेर, गाँव–मोडिया मानसर, तहसील–लूनकरनसर, जिला–बीकानेर** में दिनांक **01.04.2025** को प्रातः 11.00 बजे आयोजित की गई। उक्त क्लस्टर क्षेत्र में आने वाली खनन इकाईयों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	खनन इकाई का नाम	एम.एल. नम्बर / रेफरेन्स नम्बर	खनन इकाई का क्षेत्रफल	खनन इकाई की उत्पादन क्षमता
1	मैसर्स आशीष चांदना	20191000015079	3.3003 हैक्टेयर	2,22,900 टी.पी.ए. (रोम)
2	मैसर्स श्रीमति दीपशिखा डागा एवं श्रीमति रजनी बोथरा	48 / 2022	6.3036 हैक्टेयर	4,87,700 टी.पी.ए (रोम)

जनसुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर **परिशिष्ट "अ"** पर सलंग्न है। जनसुनवाई बाबत विज्ञप्ति दिनांक 22.02.2025 को समाचार पत्र 'इ इण्डियन एक्सप्रेस' एवं 'दैनिक युगपक्ष' में प्रकाशित करवाई गई थी जिसकी प्रतियाँ **परिशिष्ट "ब"** पर संलग्न है।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, बीकानेर ने सभी आगुन्तको का स्वागत करते हुए अवगत करवाया कि उक्त जनसुनवाई वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचनाओं में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय, बीकानेर द्वारा आयोजित की जा रही है जिसमें जिला कलक्टर महोदय की तरफ से उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। उक्त जन सुनवाई की सूचना दो समाचार पत्रों में 30 दिवस पूर्व दी जा चुकी है। क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को बताया गया कि उक्त खनन परियोजना से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी खनन परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार द्वारा दी जायेगी। सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनने के पश्चात उपस्थित आमजन खनन परियोजना के सम्बन्ध में आपत्ति या सुझाव दर्ज करवा सकते है। उक्त जनसुनवाई की विडियोग्राफी भी करवाई जा

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

रही है। जनसुनवाई की विडियोग्राफी एवं दिये गये आक्षेप/सुझाव क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) को प्रेषित कर दिये जायेगें। इसके पश्चात उपखण्ड अधिकारी, कोलायत की अनुमति से प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण हेतु **मैसर्स श्री आशीष चांदना** के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार **"मैसर्स यूनिवर्सल एन्वायरोटेक."** को आमंत्रित किया गया।

परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार **"मैसर्स यूनिवर्सल एनवायरोटेक"** के प्रतिनिधि द्वारा खनन परियोजना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत बताया गया कि उक्त खनन परियोजना निकट ग्राम मोडिया मानसर, तहसील–कोलायत जिला–बीकानेर में खनिज–बजरी, बॉल क्ले, सिलिका सेंड के खनन हेतु प्रस्तावित है जिसका **एरेफरेन्स नम्बर 20191000015079,** कुल खनन क्षेत्रफल **3.3003** हेक्टेयर तथा उत्पादन क्षमता **2,22,900** टी.पी.ए. (रोम) **{कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 9.6039 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता–7,10,600 टी.पी.ए.(रोम)}** होगी। तत्पश्चात पर्यावरणीय सलाहकार ने खान की अवधि, खान का परिचय, खनन योजना, क्लस्टर परियोजना का विवरण मय नक्शा, खनिज भण्डार, खनन प्रक्रिया, जलवायु, जल बहाव, ढांचा और खनन गतिविधियों के द्वारा जैव विविधता, मिट्टी, पर्यावरणीय, वायु और ध्वनि पर्यावरण पर प्रभाव एवं उनके शमीकरण/रोकथाम के उपायों के बारे में बताया तथा साथ ही पर्यावरणीय मापदंडों की निगरानी कार्यक्रम एवं प्रस्तावित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) के बारे में बताया।

खनन इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा खनन परियोजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाने के पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित समस्त जनसमूह को इस खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

सर्वप्रथम श्री धन्नाराम, निवासी मोडिया मानसर द्वारा आपत्ति दर्ज करते हुए कहा गया कि पूर्व में संचालित खनन ईकाईयों द्वारा न तो पानी का छिड़काव किया जाता है और न खनन पट्टा क्षेत्र में पौधारोपण किया गया है। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी ग्रामीणों द्वारा शिकायत भी की गई है। श्री धन्नाराम द्वारा बताया गया कि खनन ईकाईयों द्वारा ऑवर बर्डन को बिजली के खम्भों के सहारे डाला जा रहा है जिसे बिजली के खम्भे क्षतिग्रस्त हो रहे है एवं बिजली के तारों की उँचाई भी कम हो गई है जिस कारण बिजली के करंट लगने से कई पशु भी मर गये है।

उपखण्ड अधिकारी, कोलायत द्वारा बताया गया कि ग्राम मोडिया मानसर खनन इकाईयों के विरूद्व प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित विभागों को दिशा–निर्देश प्रदान कर दिये जायेगें।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

श्री जेठाराम, सरपंच प्रतिनिधि द्वारा जानकारी मांगी गई कि खनन ईकाई से आबादी क्षेत्र एवं 3 फेस विद्युत लाईन की कितनी दूरी होनी चाहिये। साथ ही श्री जेठाराम द्वारा यह भी जानकारी चाही गई की क्या ग्रामीणों के आवागमन हेतु खनन ईकाई द्वारा रास्ता छोड़ने का प्रावधान है। जिसके प्रत्युत्तर में परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि खनन ईकाई की स्थापना से पूर्व क्षेत्र का निरीक्षण कर सभी नियमों को ध्यान में रख कर ही खनन इकाई आवंटित की जाती है।

श्री नन्दकिशोर शर्मा, निवासी मोडिया मानसर द्वारा कहा गया कि खनन ईकाई में रोजगार हेतु स्थानीय निवासीयों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। जिसके प्रत्युत्तर में परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि खनन ईकाई में स्थानीय निवासियों को उनकी योग्यतानुसार रोजगार दिया जायेगा।

उपखण्ड अधिकारी, कोलायत द्वारा बताया गया कि सरकार द्वारा बनाये गये नियमों की पालना सुनिश्चित होने के उपरान्त ही प्रस्तावित खनन ईकाई में खनन कार्य प्रारम्भ करने हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी।

श्री धन्नाराम, निवासी मोडिया मानसर द्वारा कहा गया कि परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा परियोजना के विस्तृत विवरण में बताया गया है कि नियमों की पालना की जायेगी परन्तु वर्तमान में संचालित खनन इकाई द्वारा नियमों की पालना नहीं की जाती है। जिसके प्रत्युत्तर में क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा बताया गया कि आप द्वारा प्रस्तुत आक्षेप पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

मोहम्मद सदीक खाँ, निवासी मोडिया मानसर द्वारा आक्षेप लगाया गया कि पूर्व में संचालित खनन ईकाईयों द्वारा नियमों की अनदेखी की जाती है एवं नियमों की पालना नहीं की जाती है। साथ ही मोहम्मद सदीक द्वारा कहा गया कि जनसुनवाई के समय खनन ईकाई के मालिकों द्वारा घोषणाएं तो की जाती है लेकिन उन घोषणाओं की पालना नहीं की जाती है। जिसके प्रत्युत्तर में श्री आशीष चाँदना, खनन मालिक द्वारा बताया गया कि खनन हमारे द्वारा सभी नियमों की पालना की जायेगी एवं परियोजना के विस्तृत विवरण में बताये गये सभी कार्य पूर्ण किये जायेगें।

श्री जेठाराम, सरपंच प्रतिनिधि द्वारा आक्षेप लगाया गया कि किसी भी खनन ईकाई द्वारा नियमों की पालना नहीं की जाती है।

जुम्मे खाँ द्वारा कहा गया कि खनन ईकाईयों द्वारा डाले जाने वाले ऑवर बर्डन के कारण कई खम्बे टेढे हो गये है जिनसे दुधर्टना होने का खतरा बना रहता है।

क्षेत्रीय अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
जिला–बीकानेर

उपखण्ड अधिकारी, कोलायत द्वारा उपस्थित ग्रामवासियों को कहा गया कि आप लोगो की कोई शिकायत/आक्षेप हो ता वह सरपंच में माध्यम से भिजवा सकते है। उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा यह भी बताया गया कि क्षेत्र के विकास हेतु क्षेत्र में उपलब्ध खनिज संसाधनों का खनन किया जाना आवश्यक है। साथ ही उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित ग्रामवासियों को आश्वासन दिया कि सभी खनन ईकाईयों से नियमों की पालना करवायी जायेगी।

अन्त में ग्रामवासियों द्वारा अन्य कोई आपत्ति/आक्षेप प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी महोदय की अनुमति से क्षेत्रीय अधिकारी ने जनसुनवाई के समापन की घोषणा की एवं उपखण्ड अधिकारी महोदय तथा उपस्थित जन समुदाय का जन सुनवाई में आने के लिए आभार प्रकट किया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जनसुनवाई के दौरान ग्राम मोडिया मानसर के ग्रामवासियों द्वारा मोडिया मानसर के पास स्थित खनन ईकाईयों पर सुरक्षा व्यवस्था करवाने के सम्बन्ध में एक लिखित आक्षेप उपखण्ड अधिकारी महोदय, कोलायत को दिया गया जिसकी प्रतिलिपि **परिशिष्ट "स"** पर संलग्न है।

(राजकुमार मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी,
रा.रा.प्र.नि.म., बीकानेर

(राजेश कुमार नायक)
उपखण्ड अधिकारी, कोलायत
बीकानेर

जन सुनवाई हेतु नामित पदाधिकारियों एवं नागरिकों का उपस्थिति पत्र

प्रस्तावित खनन परियोजना मैसर्स श्री आशीष चांदना पुत्र श्री भगवान दास चांदना, रेफरेन्स नम्बर 20191000015079, क्षेत्रफल 3.3003 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 2,22,900 टी.पी.ए. (रोम), निकट ग्राम–मोडिया मानसर, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर जो कि क्लस्टर परियोजना { मैसर्स श्री आशीष चांदना पुत्र श्री भगवान दास चांदना, रेफरेन्स नम्बर 20191000015079, क्षेत्रफल 3.3003 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 2,22,900 टी.पी.ए. (रोम); मैसर्स श्रीमति दीपशिखा डागा एवं श्रीमति रजनी बोथरा, एम.एल. नम्बर 48/2022, क्षेत्रफल 6.3036 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 4,87,700 टी.पी.ए. (रोम); } कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 9.6039 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता–7,10,600 टी.पी.ए.(रोम) में स्थित है में बजरी, बॉल क्ले, सिलिका सेंड के खनन की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 01.04.2025 को आयोजित जन सुनवाई की बैठक ।

स्थानः– ग्राम पंचायत भवन गजनेर, गाँव–मोडिया मानसर, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर
दिनांकः–01.04.2025 समय प्रातः 11.00 बजे।

क्र.स.	नाम	पद एवं विभाग / कार्यालय / निवासी	हस्ताक्षर
1.	राजेश कुमार नायर	उपखंड अधिकारी, कोलायत	[signature]
2.	राजकुमार मीणा	क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म. बीकानेर	[signature]
3.	मनोज व्यास	AEn. RSPCB	[signature]
4.	जेठाराम	सरपंच प्रतिनिधि	जेठाराम
5.	लालूराम	मोडियासर	[signature]
6.	[illegible]	[illegible]	[signature]
7.	रामदयाल	[illegible]	[signature]
8.	राजेन्द्र	गजनेर	[signature]
9.	अतुल गहलोत	Ueomin Solution Pvt. Ltd	[signature]
10.	मनोहर	GSPL	[signature]
11.	हर्षवर्धन	Oremine Solution Pvt LTd	[signature]
12.	गोपाल	मोडिया मानसर	गोपाल
13.	अनिल	मोडिया मानसर	अनिल
14.	सुरेश	बिकानेर	[signature]

15.	नन्दकिशोर शर्मा	9462458420 गजनेर	गजनेर [illegible]
16.	[illegible]	8949412847 गजनेर	गजनेर [illegible]
17.	धनाराम	मोडीया मानसर	धनाराम
18.	[illegible]	मोडिया मानसर	[illegible]
19.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20.	ASHISH CHANDNA	MINE OWNER	[illegible]
21.	Arvind Vaishnav	Universal Envirotech, Jaipur	[illegible]
22.	Rakesh Kumar	Universal Envirotech Jaipur	[illegible]
23.	[illegible]	गजनेर	[illegible]
24.	[illegible] शर्मा	[illegible]	[illegible] शर्मा
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			
36.			
37.			